

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार
9वां तल-ए विंग, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली

F.No 234/1393/HFW/QC/2025/349

दिनांक:- 21/3/2025

सेवा में,

श्रीमान उप-सचिव (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधानसभा सचिवालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली-110054

विषय : आठवीं विधानसभा का द्वितीय सत्र (बजट सत्र-2025), माननीय विधायक श्री प्रेम चौहान द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न सं0 10 दिनांक 24.03.2025 के संदर्भ में।

महोदय/महोदया,

यह पत्र उपरोक्त संदर्भित आपके ई-मेल दिनांकित 15.03.2025 के संदर्भ में प्रेषित किया जा रहा है।

कृपया उपरोक्त के संदर्भ में इस पत्र के साथ माननीय विधायक श्री प्रेम चौहान द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं0 10 का उत्तर निर्धारित प्रारूप में (100 प्रतियां) आपको अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है।

यह उत्तर मा0 मंत्री महोदय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, दिल्ली सरकार के अनुमोदन से प्रेषित किया गया है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार (100 प्रतियां)

डॉ. व. कपिल

भवदीय

उप-सचिव (प्र0शा0)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

J.B. KAPIL
Dy. Secy. (H&FW)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार
9वां तल-ए विंग, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली

तारांकित प्रश्न संख्या : 10
दिनांक : 24.03.2025
प्रश्नकर्ता का नाम : मा0 विधायक श्री प्रेम चौहान
क्या उपमुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या दिल्ली सरकार द्वारा 20 फरवरी 2025 के बाद, आशा वर्कर्स के मासिक भत्ते बढ़ाने व उन्हें स्वास्थ्य व जीवनबीमा सुविधाएं प्रदान करने का कोई निर्णय किया गया है,	हाँ। दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन द्वारा आशा वर्कर्स के मासिक भत्ते बढ़ाने के लिए नियोजित लिखित दस्तावेज की फाईल विचाराधीन है। जीवन बीमा योजनाओं में (प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना) सभी आशा वर्कर्स के लिए प्रावधान किया गया है। दिल्ली सरकार कैबिनेट द्वारा आयुष्मान भारत योजना को लागू करने की अनुमति दी जा चुकी है, जिसमें की भारत सरकार की नियमावली के अनुसार आशा वर्कर्स भी स्वास्थ्य बीमा योजना की लाभार्थी होंगी।
ख	यदि हाँ तो पूर्ण विवरण दें, और;	
ग	यदि नहीं, तो क्या भविष्य के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है?	

यह उत्तर मा0 मंत्री महोदय (स्वास्थ्य) के अनुमोदन के पश्चात जारी किया गया है।

हस्ताक्षर
उप-सचिव (प्र.शा.)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
J.B. KAPIL
Dy. Secy. (H&FW)